

(3)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दफा 20

अधिकारी कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री सुनील कुमार शर्मा 2. वर्तमान पद पर डीएल
 3. वर्तमान पद का 4620/0 4. पदोन्नति के तारीख 10.15.2011

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरे	संपत्ति से कार्पिक आय	अभिधुविका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मिर्जापुर नरेशपुर जिला डाला	अच्छा 30-60	-	MIL	माता के नाम पर (1)	पैत्रक नाम से	MIL	अनुमानित आय 5000 रु प्रति वर्ष

* जहां लागू न हो कार खोजें।

** इस मामले में जहां मूल्य का सही स्रोत उपलब्ध न हो तो जहां-जहां प्रायिकता के तहत में संभव हो सके उसे ध्यान में रखें।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के सभी कर्मचारी से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार सालों की अवधि के परीक्षा के समय पर यह प्रमाण पत्र और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित आय का विवरण में भरें। इसमें अपने नाम पर या उसके अर्जित आय के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक के द्वारा धारित अचल सम्पत्ति का विवरण देना।

नाम सुनील कुमार शर्मा
 पद डीएल